ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी), विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी), विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अलका संधू	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सीमा शर्मा	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी) के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार	4.91

		मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे		
2)	4.3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना		15.49
3)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष		30.63
4)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष		0.20
5)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली को सरकारी कोष में जमा न करना		0.002
6)	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना		2.08
7)	9.2	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना		2.08
8)	9.3	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना का अनियमित भुगतान		0.39
9)	10	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना		4.00

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी), विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पंकज भरारिया, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.06.2025 से 16.06.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	02/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी), विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 55/2025 दिनांक 16/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी) द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित चिंतपूर्णी के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 318939 दिनांक 16/06/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	5263340.7	2638517.98	7901858.68	4838415.18	3063443.5

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी) के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹490613.50** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	3063443.50
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**2571631.00**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि (₹)	1199.00
4)	**योग (2+3)**	**2572830.00**
5)	**अन्तर (1-4)**	**490613.50**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण राशि ₹4.91 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹490613.50** का अन्तर पाया गया | अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42/2025 दिनांक 10/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

1	**2**	**3**	**4**	**5**
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (3-4) (₹)**
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित)	3063443.50	2572830.00	490613.50

4.3 स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में राशि ₹15.49 लाख की अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रत: में प्रविष्टि की जाएगी व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई जाएंगी |

अंकेक्षण के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही के माह 09/2024 में राशि **₹1548575** की भुगतान पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज की गई थी, जिसका विवरण **निम्न तालिका** अनुसार है, जिसके समर्थन में कोई बिल / समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पासबुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित / असमर्थित प्रतीत होती हैं :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**रोकड़ बही अनुसार भुगतान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	FFC/2024-25/P/3	01.09.2024	विवरण दर्ज नहीं है		1548132
2	FFC/2024-25/P/4	01.09.2024	विवरण दर्ज नहीं है		443
			योग	**1548575**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 44/2025 दिनांक 12/06/2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटी स्वीकार करते हुए बताया गया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज की गई थी, जबकि वास्तव में उक्त राशि की प्राप्ति / भुगतान नहीं किया गया है | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बही की विस्तृत जाँच की जाए व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

4.4 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन

एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 17 दिनांक 16/06/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹30.63 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3063443.50** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 17 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 17 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.20 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 17 दिनांक 16/06/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹20370 (परिशिष्ट "ख" अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	16570	20000	36570	16200	20370

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹0.00** वसूली हेतू शेष थी |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	0	1800	1800	1800	0

अतः दुकान किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1800 सलंग्र परिशिष्ट "घ" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	1800

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 47/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्र परिशिष्ट "घ" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.5 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा दिनांक 31/03/2025 को निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अत: उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43/2025 दिनांक 12/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि (₹)
1.	04/2024 से 05/2024	2549
2.	06/2024	2110
3.	07/2024 से 08/2024	2687
4.	09/2024	2767
5.	10/2024 से 11/2024	2724
6.	12/2024 से 01/2025	3124
7.	02/2025	2778
8.	03/2025	1199

8 गृहकर से ₹680 की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीदों अनुसार गृहकर के रूप में **₹680** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था | फलस्वरूप उक्त **₹680** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि **₹680** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**गृहकर से प्राप्त राशि (₹)**	**रोकड़ बही में दर्ज गई राशि (₹)**	**कम दर्ज की गई राशि (₹)**
1	83437 से 83440, 83749 से 83756 15.04.24, 29.03.25	680	0	680
			योग	**680**

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.08 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा चयनित माह 02/25 में **निम्न विवरणानुसार ₹208050** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	15th fc	XVFC/2024-25/P/58	1966 24.01.25	Sohan lal Sharma & Sons VPO Jourbar	Sanitary material	25290	
2	15th fc	XVFC/2024-25/P/60	MS-4385 23.01.25	M/S Maha Shiv Shakti Traders	Steel	2920	
3	Own	OWN/2024-25/P/53	2342, 2346, 2352, 2355, 2340 02,04,07, 10,15.01. 2025	M/S Tilak Raj & Sons Jourbar	MS Pipes	179840	
					योग	**208050**	

9.2 ₹2.08 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 02/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹208050** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 50/2025 दिनांक 16/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15^{th} fc	XVFC/2024-25/P/58	1966 24.01.25	Sohan lal Sharma & Sons VPO Jourbar	Sanitary material	25290
2	15^{th} fc	XVFC/2024-25/P/60	MS-4385 23.01.25	M/S Maha Shiv Shakti Traders	Steel	2920
3	Own	OWN/2024-25/P/53	2342, 2346, 2352, 2355, 2340 02,04,07,10,15.01.2025	M/S Tilak Raj & Sons Jourbar	MS Pipes	179840
					योग	**208050**

9.3 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.39 लाख का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 02/2025 में निम्न विवरणानुसार **₹39418** निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया

गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म 'डब्ल्यू' या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹39418** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	15th fc	निर्माण गंदे पानी की निकासी व सोकपिट बहादुर सिंह	221 25.01.25	Nikhil Kumar, Nari	Sand, Agg	11630
2	Own	R/O Rasta Chobe Basti near H/O Sushil kumar	218 15.01.2025	Nikhil Kumar, Nari	Sand, Agg	7583
3	Own	C/O Rasta and Danga Harijan basti	218 15.01.2025	Nikhil Kumar, Nari	Sand, Agg	15265
4	Own	Reling work mehar chand ki pashushala se naag mandir	216 07.01.2025	Nikhil Kumar, Nari	Sand, Agg	4940
					योग	**39418**

9.4 स्त्रोत पर ₹0.07 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को

सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹343620** (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹6873** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी. एस. की कटौती योग्य राशि(₹)
1	2024-25	Nikhil Kumar	रेत, बजरी, मिट्टी	343620	343620	6873 (2% x 343620)
				योग	**343620**	**6873**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 53/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹6873** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 ₹4.00 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त

अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 02/2025 में **निम्न वर्णित** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹399756** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	Own	02/25	R/O Well Shamshan ghat ward no 5	0745528 21.01.25, 30 21.01.25	Cement, carriage	42100	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई	
2	OWN	02/25	Mehar Chand ki Pashushala se lekar	2342, 2346, 2352, 2355, 2340 02,04,07,10, 15.01.2025, 103210 (06.01.25 to 18.01.25)	MS Pipes, labour	215316	यथोपरि
3	OWN	02/25	Reling works mehar chand	216 07.01.25	Sand, agg.	4940	यथोपरि
4	OWN	02/25	Murmat raste ward no 1 se 2	103211 (15.11.24 to 30.11.24)	labor	53200	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति व माप पुस्तिका अंकेक्षण में

							प्रस्तुत नहीं की गई।
5	Own	02/25	C/O Protection wall near house of Sukhdev rajpal, tilak raj etc	0745525 21.01.25, 31 21.01.25, 0786283 18.03.25	Cement, carriage	84200	यथोपरि
					योग	**399756**	

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38/2025 दिनांक 10/06/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 18 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)

10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48

11.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/2025 दिनांक 16/06/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 19 दिनांक 16/06/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	2342, 04.01.25	M/S Pipes	45570
2	यथोपरि	2346, 07.01.25	M/S Pipes	42960
3	यथोपरि	2352, 10.01.25	M/S Pipes	39160
4	यथोपरि	2355, 04.01.25	Paint material	10180
5	यथोपरि	2340, 02.01.25	M/S Pipes	41970

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37/2025 दिनांक 10/06/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 17 दिनांक 16/06/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण

अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

0 9 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 09.7.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4308-4312

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)121/2015–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत नारी (चिन्तपूर्णी), विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 9 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 09.7.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी), विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	5263340.7	2638517.98	7901858.68	4838415.18	3063443.5

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Nari Chintpurni
Block Amb Distt Una (H.P.)

ग्राम पंचायत नारी (चिंतपूर्णी), विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	5263340.7	1675712	6939052.7	3875609.2	3063443.5

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	4360253.5	748319	5108572.5	3039272	2069300.5

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	903087.2	927393	1830480.2	836337.2	994143

Panchayat Secretary
Gram Panchayat ...
Vikas Khand Amb Distt. Una (H.P.)

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	962805.98	962805.98	962805.98	0

Panchayat Secretary
Panchayat Ner Chowk
Block Amb Distt Una (H.P.)

22

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 (क) का अंतशेष	3063443.50
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2571631.00**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	1199.00
4)	**योग (2+3)**	**2572830.00**
5)	**अन्तर (1-4)**	**490613.50**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Nan Chamba
Block [illegible] Una (H.P.

23

परिशिष्ट क-1

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	Punjab & Sind Bank Chintpurni (15th fc)	13671000002900	994143.00	
	KCCB Chintpurni (Own & GIA)	20017046776	571437.50	
	KCCB Chintpurni (Own & GIA)	20017044917	986894.00	
	KCCB Chintpurni (IAY)	20017032468	19070.00	
	Post Office Chintpurni	100	86.50	बैंक शेष प्रमाण पत्र अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
		योग	**2571631.00**	
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान समेकित)**	1199.00	
		योग (1+2)	**2572830.00**	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Nari Chintpurni
Block Amb Distt Una (H.P.

29

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नारी चिंतपूर्णी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	16570	20000	36570	16200	20370

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Nari Chintpurni
Block Amb Distt Una (H.P.)

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत नारी चिंतपूर्णी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	0	1800	1800	1800	0

नोट :-दिनांक 31.03.2024 तक दुकान किराये की वसूली रजिस्टर व अनुबंध तैयार नहीं किया गया था।

Panchayat Nari Chintpurni
Amb Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट 'ख'   पैरा संख्या 7.3 (ग)(iv) के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत नारी चिन्तपुरनी विकास खंड अम्ब जिला ऊना हि०प्र०							
शादी पंजीकरण रिपोर्ट 01/04/2024 से 31/03/2025							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशी	कम वसूली गयी राशी
1	मोहित डडवाल पुत्र नरेश कुमार	11-10-2024	22-10-2024	83458	200	200	0
2	शशि पाल शर्मा पुत्र स्व०तिलक राज	22-07-2024	22-10-2024	83467	400	400	0
3	आशीष ठाकुर पुत्र सेवा सिंह	18-11-24	02-12-2024	82462	200	200	0
4	कर्ण सिंह पुत्र केहर सिंह	24-11-24	03-12-2024	83463	200	200	0
5	आकाश ठाकुर पुत्र कँवर सिंह	06-12-24	11-12-2024	00000	200	000	200
6	दीपांशु पुत्र अनिल कुमार	22-11-24	22-12-2024	83469	200	200	0
7	गुलशन कुमार पुत्र बकील सिंह	5-03-2025	19-03-2025	83628	200	200	0
8	दीपांशु पुत्र अजय कुमार	30-01-25	24-03-2025	83705	400	400	0
				कुल	2000	1800	200

16.6.25
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Nari Chintpurni
Block Amb Distt Una (H.P.)

परिशिष्ट 'ङ' पैरा संख्या 9.4 के सन्दर्भ में

दिनाक 01-04-2024 To 31-03-2025 निखिल कुमार को दिए गये भुगतान का बिवरण

Sr no	Bill No	Date	Amount	Material
1	176	07-01-2024	14540	रेत बजरी
2	179	18-01-2024	15865	do
3	158	08-04-2024	9630	do
4	166	10-04-2024	11110	do
5	180	20-01-2024	31200	do
6	212	17-04-2024	16505	do
7	216	07-01-2025	4940	do
8	228	16-02-2025	58300	do
9	169	17-07-2024	22338	do
10	190	11-02-2024	7290	do
11	155	02-03-2024	48750	do
12	196	18-10-2024	42460	do
13	198	21-10-2024	35770	do
14	221	25-01-2025	11630	do
15	223	07-02-2025	13292	do
	G Total		343620	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Block Amb Distt Una (HP)